

सं०सं०- 16/एच.1-02/2008-

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद द्वारा दर्शायी गयी कमियों को पूरा करने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक 1576(आ०चि०) दिनांक 07.12.2018 द्वारा डॉ० अशर्फी प्रसाद सिंह, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी, जिला संयुक्त औषधालय, मुजफ्फरपुर एवं डॉ० जय प्रकाश शर्मा, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय होमियोपैथिक औषधालय, बेदौल, मुजफ्फरपुर को राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर में प्रतिनियुक्त किया गया था। इनकी प्रतिनियुक्ति होने से औषधालय का चिकित्सकीय कार्य प्रभावित हो रहा था।

सम्यक विचारोपरान्त इनकी प्रतिनियुक्ति को समाप्त करते हुए इनके स्थान पर डॉ० उपेन्द्र श्रीवास्तव, राजकीय होमियोपैथिक औषधालय, बधात दरभंगा एवं डॉ० कन्हैया लाल प्रसाद, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चन्द्रहिया, मोतिहारी को अगले आदेश तक राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी अविलंब अपने-अपने पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति स्थान पर योगदान देंगे।

3. प्राचार्य, राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर की उपस्थिति विवरणी के आधार पर उक्त चिकित्सा पदाधिकारियों के वेतनादि का भुगतान उनके मूल पदस्थापन स्थान से होगा।

4. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रवीन्द्र यादव)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक - 16/एच.1-02/2008- 774(आ.चि.) - पटना, दिनांक - 12.6.2019

प्रतिलिपि - संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्राचार्य, राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर/जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा/सिविल सर्जन, मोतिहारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चन्द्रहिया, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

९